बिहार सरकार

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

पत्रांक– पि0व0/4/वि0यो0–22–04/2022– 116. पटना, दिनांक– 15/10/2026

प्रेषक,

ऋषि कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
बिहार, वीरचंद पटेल मार्ग, पटना।

विषयः– विभागान्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की छात्राओं के लिए मुंगेर एवं शेखपुरा जिलों में स्थित अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में भौतिकी, रसायनशास्त्र एवं जीवविज्ञान प्रयोगशाला के Turnkey basis पर अधिष्ठापन हेतु प्रति विद्यालय रू0 30,00,000/– की दर से कुल राशि रू0 60,00,000/– (रू0 साठ लाख) मात्र की स्वीकृति।

प्रसंगः– विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–37 दिनांक–20.05.2025

आदेशः स्वीकृत।

2–पूर्व में उपर्युक्त प्रासंगिक स्वीकृत्यादेश के द्वारा विभागान्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की छात्राओं के लिए राज्य के 13 जिलों यथा–औरंगाबाद, भागलपुर, गया, जहानाबाद, कैमूर, खगड़िया, मधेपुरा, नालंदा, सहरसा, सीवान, शेखपुरा, मुंगेर एवं सुपौल में नवनिर्मित एक–एक अर्थात कुल 13 अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में भौतिकी, रसायनशास्त्र एवं जीवविज्ञान प्रयोगशाला के turn key basis पर अधिष्ठापन हेतु प्रति विद्यालय रू0 30.00 लाख की दर से कुल राशि रू0 390.00 लाख/– (रू0 तीन करोड़ नब्बे लाख) मात्र की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

3–उक्त स्वीकृति के आलोक में 02 जिलों यथा– मुंगेर एवं शेखपुरा जिलों में आवासीय विद्यालयों में अपरिहार्य कारणों से राशि की निकासी नहीं की जा सकी थी, किंतु प्रयोगशाला अधिष्ठापन का कार्य प्रगति पर है।

4–उक्त स्वीकृत्यादेश में संबंधित विद्यालयों में प्रयोगशाला अधिष्ठापन हेतु स्वीकृत्यादेश की कंडिका–05 के अनुसार स्वीकृत राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी को प्राधिकृत किया गया था।

5–उक्त क्रम में विभाग द्वारा निर्णय लिया गया है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–112 दिनांक–12.10.2026 के अनुरूप उक्त 02 जिलों के आवासीय विद्यालयों में प्रयोगशाला अधिष्ठापन के कार्य हेतु भुगतान की कार्रवाई जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी के माध्यम से न कराकर बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, पटना के माध्यम से कराया जाना है।

6–उपर्युक्त वर्णित स्थिति एवं उपर्युक्त कंडिका–05 में लिये गये निर्णय के आलोक में विचाराधीन मुंगेर एवं शेखपुरा जिलों के आवासीय विद्यालयों के लिए विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–37 दिनांक–20.05.2025 की कंडिका–05 को निम्नरूपेण संशोधित किया जाता हैः–

"स्वीकृत राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार पटना होंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि की निकासी किये जाने के पश्चात इसे बही अंतरण (Book Transfer) के माध्यम से बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, सोन भवन, पटना के पी0एल0 खाता सं0–PTSPLA007 में Ledger Name - Operation & Maintenance Of Schools & Hostels तथा Ledger Id -17221 में CFMS के माध्यम से उपलब्ध करायेंगे। इसका संव्यवहार (Transaction) नियमानुसार प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, सोन भवन, पटना द्वारा किया जायेगा। राशि के व्यय की पूर्ण जिम्मेवारी बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, सोन भवन, पटना की होगी। राशि का विचलन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा।"

P.T.O

7–पूर्व में निर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–37 दिनांक–20.05.2025 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

8– विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–37 दिनांक–20.05.2025 की शेष कंडिकाएँ यथावत् रहेंगी।

9–प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

10–प्रस्ताव में अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

11–इसकी सूचना सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं कोषागार को दी जा रही है।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से

15/10/2026
(ऋषि कुमार),
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– पि0व0/4/वि0यो0–22–04/2022– 116 पटना, दिनांक– 15/10/2026

प्रतिलिपि–हस्ताक्षरित प्रति प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15/10/2026
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– पि0व0/4/वि0यो0–22–04/2022– 116 पटना, दिनांक– 15/10/2026

प्रतिलिपि–कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन, पटना/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15/10/2026
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– पि0व0/4/वि0यो0–22–04/2022– 116 पटना, दिनांक– 15/10/2026

प्रतिलिपि–प्रमंडलीय उप निदेशक, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर/जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, मुंगेर/शेखपुरा/प्रभारी प्रधानाध्यापक, अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय, मुंगेर/शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15/10/2026
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–पि0व0/4/वि0यो0–22–04/2022– 116 पटना, दिनांक– 15/10/2026

प्रतिलिपि–प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15/10/2026
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–पि0व0/4/वि0यो0–22–04/2022– 116 पटना, दिनांक– 15/10/2026

प्रतिलिपि–आई0टी0 मैनेजर, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

15/10/2026
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–पि0व0/4/वि0यो0–22–04/2022– 116 पटना, दिनांक– 15/10/2026

प्रतिलिपि–माननीया मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

15/10/2026
सरकार के संयुक्त सचिव।